

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत 1)श्री चुनु लाल मांझी एवं 2) श्री रवि मांझी दोनों के पिता- श्री रामलाल मांझी; ग्राम- उरीमारी , थाना- बड़कागाँव जिला - हजारीबाग (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- उरीमारी , थाना- बड़कागाँव जिला- हजारीबाग (झारखण्ड) थाना सं. 155 ( ईयत भूमि) खाता सं. 03 के अधीन प्लॉट सं. 566, 568, 575; एवं ग्राम- जरजरा थाना सं.156 खाता सं. 06 के अधीन प्लॉट सं. 1055. कुल रकबा - 04.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है ।

अगर उक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट [http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर उक्त दस दिनों के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम- उरीमारी, थाना- बड़कागाँव जिला - हजारीबाग (झारखण्ड) को सी बी ए,1957 आधिनियम के तहत ग्राम- उरीमारी , थाना- बड़कागाँव जिला- हजारीबाग (झारखण्ड) थाना सं. 155 ( ईयत भूमि) खाता सं. 03 के अधीन प्लॉट सं. 566, 568, 575 एवं ग्राम- जरजरा थाना सं.156 खाता सं. 06 के अधीन प्लॉट सं. 1055. कुल रकबा - 04.00 एकड़ भूमि के तहत अंतर्गत 1) श्री चुनु लाल मांझी एवं 2) श्री रवि मांझी; दोनों के पिता- श्री रामलाल मांझी ; ग्राम- उरीमारी , थाना- बड़कागाँव जिला - हजारीबाग (झारखण्ड) को सी बी ए,1957 आधिनियम के तहत ग्राम- उरीमारी , थाना- बड़कागाँव जिला - हजारीबाग (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है।

18/12/22

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत 1)श्री चुनु लाल मांझी एवं 2) श्री रवि मांझी दोनों के पिता- श्री रामलाल मांझी; ग्राम- उरीमारी , थाना-बड़कागाँव जिला - हजारीबाग (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम-उरीमारी , थाना- बड़कागाँव जिला- हजारीबाग (झारखण्ड) थाना सं. 155 ( ऐयत भूमि) खाता सं. 03 के अधीन प्लॉट सं. 566, 568, 575; एवं ग्राम- जरजरा थाना सं.156 खाता सं. 06 के अधीन प्लॉट सं. 1055. कुल रकबा - 04.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है ।

अगर उक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट [http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, रॉची के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर उक्त दस दिनों के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम- उरीमारी, थाना- बड़कागाँव जिला - हजारीबाग (झारखण्ड) को सी बी ए,1957 आधिनियम के तहत ग्राम- उरीमारी , थाना- बड़कागाँव जिला- हजारीबाग (झारखण्ड) थाना सं. 155 ( ऐयत भूमि) खाता सं. 03 के अधीन प्लॉट सं. 566, 568, 575 एवं ग्राम- जरजरा थाना सं.156 खाता सं. 06 के अधीन प्लॉट सं. 1055. कुल रकबा - 04.00 एकड़ भूमि के तहत अंतर्गत 1) श्री चुनु लाल मांझी एवं 2) श्री रवि मांझी; दोनों के पिता- श्री रामलाल मांझी ; ग्राम- उरीमारी , थाना- बड़कागाँव जिला - हजारीबाग (झारखण्ड) को सी बी ए,1957 आधिनियम के तहत ग्राम- उरीमारी , थाना- बड़कागाँव जिला - हजारीबाग (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है। *100  
16/12/22*